न्यायालय अवर न्यायाधीश,बनमनखी (पूर्णियाँ)

Title Suit 18/18

03.02 .2020 उभय पक्षो की ओर से हाजरी दी गई।

अभिलेख आज वादी के दिनांक–15.10.2019 अन्तर्गत आदेश 22 नियम 04 के अन्तर्गत दाखिल आवेदन तथा प्रतिवादी सं0–2, 3 के दिनांक–07.11.2019 के प्रतिउत्तर पर सुनवाई के पश्चात् आदेश हेतु प्रस्तुत हुआ।

वादी के विद्वान अधिवक्ता ने दिनांक–15.10.2019 के आवेदन के आलोक में कथन किये है कि प्रतिवादी सं0–1 मुसाफिर शर्मा वाद दाखिल करने के बहुत पूर्व से ही पंजाब में रहते है। पंजाब में रहने के कारण रिश्तेदारों से उनका सम्पर्क नही रहा तथा उनकी मृत्यु दिनांक–28.03.2006 को हो गई। वे अपने पिछे तीन पुत्र प्रमोद शर्मा, विनोद शर्मा एवं मंटु शर्मा तथा एक पुत्री मीणा देवी को छोड़कर मर गये। मुसाफिर शर्मा के इन वारिसानो को वाद में पक्षकार नही बनाया गया है। अतः वाद–पत्र में संशोधन करने की अनुमति दी जाए ताकि मुसाफिर शर्मा के वारिसानो को क्रमशः प्रतिवादी सं0–1 से 1(C) बनाया जाय।

प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता ने उक्त आवेदन का विरोध करते हुए कथन किये है कि वादी द्वारा जान बुझ कर जमीन हड़पने के लिए यह वाद दायर किया है तथा परेशान करने के नियत से मुसाफिर शर्मा का नाम प्रतिवादी के रूप में दिया है जबकि उनकी मृत्यु पूर्व मे ही घर पर हो गई है। अतः वादी के आवेदन को खारिज किया जाए।

उभय पक्ष को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख प्रतिवादी के उपस्थिति हेतु नियत है वादी के आवेदन से प्रतित होता है कि प्रतिवादी मुसाफिर शर्मा अपने तीन पुत्र एवं एक पुत्री को छोड़कर मरे हैं। वाद प्रारंभिक स्थिति में है। प्रतिवादी के द्वारा भी कहा गया है कि प्रतिवादी मुसाफिर शर्मा की मृत्यु हो गई है तथा मृतक मुसाफिर शर्मा के वारिसन के संबंध में कोई आपति नहीं की गई है। वादी का आवेदन शपथ–पत्र द्वारा समर्थित है। अतः वादी के दिनांक–15.10.2019 के आवेदन को स्वीकार करते हुए वादी को निर्देश दिया जाता है कि समय सीमा के अंदर मृतक प्रतिवादी का नाम वाद–पत्र के प्रतिवादी कॉलम से विलोपित करते हुए उनके वारिसानो का नाम प्रति स्थापित करे।

दिनांक–14.02.2020 वास्ते वाद–पत्र संशोधन करते हुए।

अवर न्यायाधीश

बनमनखी,(पूर्णियाँ)